



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 30 मार्च, 2024

"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर कुकर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 22,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सुमित पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम भटपुरा थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर वर्ष- 2014 थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्र निवासी एक नाबालिक लड़के के साथ कुकर्म करना व जान से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 10.11.2014 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 954/14 धारा 377,323,506 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 20.12.2014 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विकशन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 30.03.2024 को मा0 न्यायालय पोक्सो-02 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुमित को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 22,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुनील कुमार शर्मा व श्री महेश राघव का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर ।